27/1/26	पत्रावली पेश हुई। दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियम से कार्यालय दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:06:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

उनवान

1– किस्तूरी बेवा पंचम सिंह आयु 69 साल
2– कप्तान सिंह आयु 48 साल
3– प्रकाश सिंह आयु 42 साल
4– कृपाल सिंह आयु 35 साल
5– बलवीर सिंह आयु 26 साल
} पुत्रान पंचम सिंह
6– गीता बाई आयु 46 साल
7– जल देवी आयु 37 साल
8– सीता बाई आयु 30 साल
9– मानती आयु 28 साल
} पुत्रीयान पंचम सिंह

सभी जातियान राजपूत निवासी वल्लापुरा खूडा तहसील मासलपुर जिला करौली (राज0)

–वादीगण

बनाम

1– प्रेमवाई वेवा केशरी सिंह
2– अमरसिंह पुत्र केशरी सिंह
3– संजय सिंह पुत्र अनार सिंह
4– मीरा बाई
5– सुनीता
6– कृष्णा
} पुत्रीयान केशरी सिंह
7– मुकेश पुत्र छतर सिंह
8– मिथलेश पुत्र छतर सिंह
9– माया देवी वेवा गोपाल सिंह
10– महावीर सिंह
11– भूरी सिंह
12– रघुवीर सिंह
13– सुन्दर सिंह
14–रामलखन
15–दिनेश
16–सत्यवीर
} पुत्रान गोपाल सिंह
17–शारदा बाई
18–ऊषा बाई,
} पुत्रीया गोपाल सिंह
19–रामरती वेवा अन्तरसिंह (हजफ दिनांक 17.9.2020)
20– जयवीर सिंह पुत्र अमर सिंह
21– कमर सिंह
22– राजेन्द्र सिंह
23– मदन सिंह
24– रायसिंह
} पुत्रान अन्तर सिंह
25– रेवती पुत्री अन्तर सिंह
26– गुडडी बाई पुत्री अन्तर सिंह
27– लोहरी बाई पुत्री नानगा

सभी जाति राजपूत निवासीयान ग्राम वल्लापुरा खुडा, तहसील मासलपुर जिला करौली(राज0)

28– [illegible]श सिंह गुर्जर
29– [illegible]राजपाल गुर्जर
30– जनक सिंह गुर्जर
} पुत्रान रामसिंह जाति गुर्जर निवासी नवलसिंह का पुरा खूडा तहसील मासलपुर जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.04 13:06:40 IST
Reason: SelfAttested

31– लाखन सिंह पुत्र बुद्धा जाति गुर्जर निवासी फदालपुरा खूडा तहसील मासलपुर जिला करौली
32–लैण्डहोल्डर तहसीलदार, तहसील मासलपुर जिला करौली (राज0)

–प्रतिवादीगण

दावा इन्द्राज दुरूस्ती व बेचान विलेख दिनांक 20.9.2013 व नामान्तकरण संख्या 858/20.10.2013 को शून्य एवं शून्य प्रभावी घोषित किये जाने, बंटवारा किये जाने व स्थाई निषेधाज्ञा

मु0न0:–15/15

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री लीलाधर चतुर्वेदी, एडवोकेट मिनजानिब मुदई रूबरू श्री दिनेश कुमार बंसल, एडवोकेट मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज बगरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 27/1/26 को सन् 2026 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

मुहर

मुदई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:06:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:–15/15 तारीख रजु:–12.5.15

उनवान

1– किस्तूरी बेवा पंचम सिंह आयु 69 साल
2– कप्तान सिंह आयु 48 साल
3– प्रकाश सिंह आयु 42 साल
4– कृपाल सिंह आयु 35 साल
5– बलवीर सिंह आयु 26 साल
} पुत्रान पंचम सिंह
6– गीता बाई आयु 46 साल
7– जल देवी आयु 37 साल
8– सीता बाई आयु 30 साल
9– मानती आयु 28 साल
} पुत्रीयान पंचम सिंह

सभी जातियान राजपूत निवासी वल्लापुरा खूडा तहसील मासलपुर जिला करौली (राज0)

–वादीगण

बनाम

1– प्रेमवाई वेवा केशरी सिंह
2– अमरसिंह पुत्र केशरी सिंह
3– संजय सिंह पुत्र अनार सिंह
4– मीरा बाई
5– सुनीता
6– कृष्णा
} पुत्रीयान केशरी सिंह
7– मुकेश पुत्र छतर सिंह
8– मिथलेश पुत्र छतर सिंह
9– माया देवी वेवा गोपाल सिंह
10– महावीर सिंह
11– भूरी सिंह
12– रघुवीर सिंह
13– सुन्दर सिंह
14–रामलखन
15–दिनेश
16–सत्यवीर
} पुत्रान गोपाल सिंह
17–शारदा बाई
18–ऊषा बाई,
} पुत्रीया गोपाल सिंह
19–रामरती वेवा अन्तरसिंह (हजफ दिनांक 17.9.2020)
20– जयवीर सिंह पुत्र अमर सिंह
21– कमर सिंह
22– राजेन्द्र सिंह
23– मदन सिंह
24– रायसिंह
} पुत्रान अन्तर सिंह
25– रेवती पुत्री अन्तर सिंह
26– गुडडी बाई पुत्री अन्तर सिंह
27– लोहरी बाई पुत्री नानगा

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.05.04 13:06:40
Reason: SelfAttested

सभी जाति राजपूत निवासीयान ग्राम वल्लापुरा खुडा, तहसील मासलपुर जिला करौली(राज0)

28– दिनेश सिंह गुर्जर
29– राजपाल गुर्जर
30– जनक सिंह गुर्जर
} पुत्रान रामसिंह जाति गुर्जर निवासी नवलसिंह का पुरा खूडा तहसील मासलपुर जिला करौली

31– लाखन सिंह पुत्र बुद्दा जाति गुर्जर निवासी फदालपुरा खूडा तहसील मासलपुर जिला करौली

32–लैण्डहोल्डर तहसीलदार, तहसील मासलपुर जिला करौली (राज0)

–प्रतिवादीगण

दावा इन्द्राज दुरूस्ती व बेचान विलेख दिनांक 20.9.2013 व नामान्तकरण संख्या 858/20.10.2013 को शून्य एवं शून्य प्रभावी घोषित किये जाने, बंटवारा किये जाने व स्थाई निषेधाज्ञा

–::निर्णय::– दिनांक :– 27/1/26

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि हम वादीगण के पति/पिता पंचम सिंह के 6 भाई 2 बहिन है। मूलसिंह, अन्तरसिंह, केशरीसिंह, पंचम सिंह, छतर सिंह, गोपाल सिंह, छत्तोबाई जो फौत हो चुकी है, लोहरी बाई पुत्रान/पुत्रीयान नानगा सिंह जिसका सजरा मद नंबर 1 में दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता/पति की पैतृक संयुक्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 600, 601, 602, 603, 605, 629, 630, 631, 836, 837, 840, 841 कुल किता 13 कुल रकवा 25.06 बीघा वाके ग्राम खूडा तहसील करौली में स्थित है जिसको योम खातेदारी से हीह म वादीगण के पिता/पति काश्त करते चले आ रहे हैं, व समय–समय पर फसलें काश्त करते चले आ रहे हैं व हम वादीगण आज भ्झी बिना रोक–टोक काबिज काश्त है। सबूतन जमाबंदी संवत् 2028 से 2031 तक में वादीगण के पिता/पति का नाम अंकित है जो 6 भाई मूलसिंह, अन्तरसिंह, केशरसिंह, पंचम सिंह, छत्तर सिंह, गोपाल सिंह के नाम दर्ज है। दावा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता/पति की मृत्यु हो जाने के बाद उनके वारिसान को वादीगण व प्रतिवादीगण बताया गया है। वादीगण के पिता/पति की मृत्यु हो जाने के कारण हम वादीगण उक्त आराजी की इन्द्राज दुरूस्ती कराने, बेचान विलेख दिनांक 20.09.2013 नामान्तकरण संख्या 858/20.10.2013 को वादीगण के विरूद्व शून्य प्रभावी होने के कारण शून्य प्रभावी कराने एवं बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबंद कराने के अधिकारी हैं। जमाबंदी संवत् 2032

2/1/1
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.04 13:06:40 IST
Reason: SelfAttested

से 2035 में वादीगण के पिता/पति का नाम पटवारी द्वारा जमाबंदी में नाम चढाते समय भूलवस वादीगण के पिता/पति का नाम अंकित नही किया गया है जो पटवारी की गलत से वादीगण के पिता/पति का नाम छोड दिया गया है व अंकित नही किया जाना है। और उसी गलती से आज तक गलत जमाबंदी बनती चली आ रही है। जमाबंदियों की नकल दिनांक 14.03.2014 को लेने पर इस बात का पता चला है। इसलिये जमाबंदियों में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है। दिनांक 20.09.2013 को प्रतिवादीगण मुकेश पुत्र छतरसिंह व मिथलेश पुत्र छत्तर सिंह द्वारा हम वादीगण की हिस्से की आराजी को बेईमानी पूर्ण तरीके से छल करके हम वादीगण को बिना बताऐ अजनबी व्यक्ति दिनेश सिंह गुर्जर, राजपाल गुर्जर, जनक सिंह गुर्जर, लाखन सिंह गुर्जर को विक्रय कर दिया उक्त आराजी का बंटवारा भी रिकॉर्ड में अभी नही हुआ है। दिनांक 04.03.2014 को प्रतिवादीगण क्रेता दिनेश सिंह गुर्जर, राजपाल गुर्जर, जनक सिंह गुर्जर, लाखन सिंह गुर्जर हम वादीगण की आराजी पर आए और कहा कि ये जमीन हमने खरीद ली हैं। इस जमीन को खाली करो इस जमीन पर हम फसल काश्त करेंगे। यदि तुमने ये जमीन राजी से खाली नही की तो हम वीर गुर्जर हैं। तुम्हें लट्ठ व ताकत के बल पर इस जमीन से बेदखल कर देगें। यदि तुमने विरोध किया तो इस जमीन में ही गड्डा खोदकर गाड देंगे। हमने कहा कि भाई कि ये जमीन हमारे पिता/ पति स्व0 पंचन सिंह की है और उसी के नाम है और अपने जीवन काल में संवत् 2028 से कब्जा काश्त है। उनकी मृत्यु के बाद से हम वादीगण लगातार काश्त करते चले आ रहे है। वहां मौजूद लोगों ने प्रतिवादीगण को काफी समझाया, तो और अधिक नाराज हो गए और [illegible] धमकी दे गए है कि दो चार दिन में इस जमीन में लट्ठ व ताकत के बल पर जबरन कब्जा करेगें व इस जमीन पर कब्जा करके हम भी किसी दीगर अजनबी व्यक्ति को इस जमीन को विक्रय कर देंगे या इस जमीन को बैंक मे गिरवी रखवा देंगे। वादीगण द्वारा उसी दिन तहसील मासलपुर आकर जमाबंदी संवत् 2028 से 2031 व

Signature Not Veri
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.04 13:06
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

संवत 2032 से 2035 की नकल ली गई व इसके बाद वर्तमान जमाबंदी की नकल दिनांक 29.04.2014 को प्राप्त की तो पता चला कि जमाबंदी में हमारा नाम सिर्फ मृतक मूलसिंह जो लाऔलाद फौत हुआ है उसके हिस्से की आराजी हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण में बांट कर दर्ज की है इसके बाद दिनांक 23.05.2014 को हम वादीगण ने विक्रय विलेख दिनांक 20.09.2014 को हम वादीगण ने विक्रय विलेख दिनांक 20.09.2013 की नकल प्राप्त की और सारी नकल को लेकर प्रतिवादी नं0 32 लैण्ड होल्डर तहसीलदार मासलपुर के पास गए और इन्द्राज दुरूस्ती व रजिस्ट्री को शून्य एवं शून्य प्रभावी करने को कहा तो सब–रजिस्ट्रार ने कहा कि मैं इसमें कुछ नही कह सकता दावे के द्वारा ही हो सकता हैं। इसलिये अविलम्ब यह दावा पेश किया गया है। उक्त आराजी पर शून्य व शून्य करनीय विक्रय विलेख के आधार पर यदि प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर लिया जावेगा उक्त आराजी को प्रतिवादीगण द्वारा किसी अन्य अजनबी को पुनः बेच दिया जायेगा या बैंक में गिरवी रखकर लोन ले लिया जावेगा। व प्रतिवादीगण द्वारा हम वादीगण को को उक्त आराजी से बेदखल कर दिया जायेगा, तो हम वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षति–पूर्ति किसी प्रकार संभव नही है। इसलिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। विनाय दावा वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 20.09.2013 को प्रतिवादीगण मुकेश व मिथलेश द्वारा आराजी के विक्रय करने जिसकी नकल दिनांक 23.05.2014 को प्राप्त करने व जमाबंदी संवत् 2028 से 2031 व 2032 से 2035 की नकल दिनांक 14.03.2014 को प्राप्त करने व जमाबंदी संवत् 2069 [illegible] दिनांक 29.04.2014 को प्राप्त करने पर व [illegible] होल्डर तहसीलदार, तहसील मासलपुर को इन्द्राज दुरूस्ती व रजिस्ट्री शून्य व शून्य प्रभावी करने की प्रार्थना करने पर पैदा हुआ हैं। नामान्तकरण की प्रार्थना पत्र करने दिनांक 23.05.2014 को पैदा हुआ है। दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.04 13:06:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई व प्रतिवादी नंबर 19 का दिनांक 17.9.2020 को नाम हजफ किया गया। प्रतिवादी नंबर 28 ता 31 द्वारा जबावदावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि नानगा सिंह का विवादित आराजीयात में कोई खातेदारी काश्तकारी संबंध नही हैं। क्योंकि मूल सिंह लाऔलाद फौत होना वादीगण ने सजरा में दर्ज किया है। छतरसिंह का 1/5 हिस्सा खातेदारी अधिकार वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हो रहा है। वह सही है। इन आराजीयात में लौहरी वाई प्रतिवादी का कोई खातेदारी काश्ताकरी संबंध नही है कोई जमाबंदी वादीगण ने नानगा सिंह के खातेदारी की प्रस्तुत नही की हैं। जवाबदारान प्रतिवादीगण ने छतर सिंह पुत्र नानगा के वारिसान प्रतिवादीगण नबर 7 एवं 8 मुकेश व मिथलेश से उनके हक हिस्से खातेदारी की समस्त भूमि क्रय की है। जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्रच से खरीद की गई हैं। और कब्जा प्राप्त हम प्रतिवादीगण ने विक्रेतागण से प्राप्त किया है हम प्रति–वादीगण जवाबदारान छतरसिंह के हक हिस्से की भूमि पर काविज काश्त है। आराजीयात पैतृक संपत्ति नही है पैतृक खातेदारी की आराजीयात नही हैं। पैतृक आराजीयात होने का कोई रिकार्ड ऑफ राईटस जमाबंदी वगैर हा नानगा सिंह एवं उसके पिता की होने का वादीगण ने वादीगण ने वादपत्र में अपने वादपत्र में प्रस्तुत नही किया है ना ही वादीगण ने अपने वादपत्र में दर्ज किया है। किस पूर्वज के खातेदारी की भूमि रही है। वादपत्र में वादीगण ने इन आराजीयात में अपना हक हिस्सा तक भी दर्ज नही किया है। मूलसिंह स्वर्गवासी हो चुका है। जो निःसंतान हुआ हैं। और वर्तमान जमाबंदी में छतरसिंह का हिस्सा 1/5 होना सही दर्ज हुआ है। वादीगण को कोई बाद घोषणा खातेदारी अधिकार का नही है। इन्द्राज दुरूस्ती बाद है। वादीगण का नाम वर्तमान जमाबंदी में खातेदारी में दर्ज हो रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.04 13:06
Reason: SelfAttested

2/11
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

विक्रय विलेख 20.09.2013 वहक हम प्रतिवादीगण जवाबदारान एवं नामान्तकरण संख्या – 358 दिनांक 20–10–2013 पूर्णतया सही है। विधिवत है। प्रभावशील है। उक्त वयनामा को न्यायालय हाजा से वादीगण शून्य प्रभावी करार कराने के विधिवत तौर पर अधिकारी नही है। दीवानी न्यायालय को ही रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को पीडित पक्षकार द्वारा ही निरस्त कराया जा सकता है ऐसी घोषणा दीवानी न्यायालय ही सकता हैं। न्यायालय हाजा को वयनामा निरस्त करने का शून्य प्रभाव करार देने का क्षेत्र अधिकार नही है ऐसा क्षेत्राधिकार नही है क्षेत्राधिकार दीवानी न्यायालय को ही प्राप्त है। उन को अपने हक हिस्से की भूमि विक्रय करने का विधिक अधिकार है। वादीगण ने छतरसिंह का उनके वारिसान का हक हिस्सा खातेदारी अधिकार होना अपने वादपत्र में माना हुआ है। वादीगण न्यायालय से स्थायी निषेधाज्ञा हम प्रतिवादीगण के विरूद्व प्राप्त करने के अधिकारी नही है। मौके पर वाहमी बंटवारा हो रहा है। अपने अपने हिस्से पर वादीगण एव हम प्रतिवादीगण काविज काश्त है वाहमी बंटवारा न्यायालय द्वारा नही माना जाने पर न्यायालय द्वारा विधिवत बंटवारा किया जा सकता है। वादीगण का कितना हिस्सा है यह भी वादपत्र में वादीगण ने दर्ज नही किया है। हम प्रतिवादीगण अपने हिस्से की आरजी पर काविज है और काश्त कर रहे है। वादीगण ने कोई विधिवत अभिवचन वादपत्र में नही है। किस जमाबंदी में किस संवत में नाम दर्ज करने से छोड दिया। दर्ज नही किया है वर्तमान जमाबंदी मे वादीगण का नाम दर्ज हो जो कहां है दिनांक 14.3.2014 को वादीगण को जानकारी होने का तथ्य असत्य दर्ज किया है। वादीगण कोई दुरूस्ती कराने के अधिकारी नही है। दिनांक 20.09.2013 के दिवस मुकेश एवं मिथलेश द्वारा बेईमानी [illegible] बेचान हम प्रतिवादीगण को नही किया है हमारा [illegible] होने का कोई प्रश्न नही है। वादीगण एव हम प्रतिवादीगण एक ही ग्राम खूडा के निवासी है। रजिस्टर्ड विकयपत्र से पूर्व से ही हो रहा है। विकेतागण ने हम केतागण को कब्जा दिया है। हम केतागण प्रतिवादीगण आराजी पर काबिज काश्त है दिनांक 4.3.2014 के

Signature Not Verifi
Digitally signed by Prem
Date: 2026.05.04 13:06:
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

दिवस कोई कहन सुन वादीगण एव हम प्रतिवादीगण के बीच नही हुई है। इन आराजीयात के अलावा दीगर आराजीयात भी इसी विक्रय पत्र से हम केतागण ने छतरसिंह के वारिसान से खरीद की है। और उन आराजीयात पर हम केतागण प्रतिवादीगण जवाबदारान काबिज काश्त है। जिनमें भी वादीगण हम केतागण के साथ संयुक्त खातेदारी है वह आराजीयात खसरा नंबर 638 लगायत 651 तक है। इसी ग्राम खूडा में है। हम केतागण को आराजी विवादित को काश्त करने का अधिकार है। हमारी खरीदशुदा आराजीयात से वादीगण का कोई खातेदारी काश्तकारी संबंध नही है। वादीगण ने मनगढन्त असत्य लक्ष्य कपोल कल्पित आधारों पर हम प्रतिवादीगण के सबंध में दर्ज किये है हम जवाबदारान को अपनी खरीदशुदा भूमि को हस्तान्तरण का विधिक अधिकार है। छतरसिंह के वारिसान भूमि के विधिवत खातेदार काश्तकार रहे है हम प्रतिवादीगण भूमि के विधिवत खातेदार काश्तकार है। वादीगण न्यायालय हाजा से विक्रयपत्र को शून्य प्रभावी कराने के अधिकारी नही है। विस्तुत जवाब देही जवाब दावा के पैरा नंबर 2 में दर्ज किये है। वादीगण को कोई वादकारण विधिवत तौर पर वाद प्रस्तुत करने का उदय नही हुआ है। वादीगण ने छल द्वारा वयनामा पंजीकृत कराना बताया है। ऐसा बाद दीवानी न्यायालय द्वारा विचारणीय होते हैं। वयनामा दिवस से ही हम प्रतिवादीगण खरीदशुदा भूमि पर काबिज काश्त हैं। वादी द्वारा शून्यगरणीय वयनामा होना दर्ज किया है। ऐसे वयनामों के संबंध में बाद दीवानी न्यायालय द्वारा विचारणीय होता हैं। राजस्व न्यायालय द्वारा ऐसे बाद पोषणीय नही होता है। हम प्रतिवादीगण अपनी खरीदशुदा भूमि पर खातेदार काश्तकार काबिज है। वादीगण जबरन बेदखल करने को कोई प्रश्न नही हैं वादीगण को अपूर्णीय क्षति नही है। वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्राप्त करने के अधिकारी नही हैं। हम अजनबी केता नही है। हम प्रतिवादीगण एवं वादीगण एक ही ग्राम के है। हमारे द्वारा भूमि ना तो रहन की जा रही है ना ही विक्रय की जारी है। विधि अनुसार खातेदार काश्तकार को अपनी भूमि भाग

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.05.04 13:06:40
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

हस्तान्तरण करने का विधिक अधिकार हैं। वादीगण को कोई वयनामा के संबंध में वाद कारण न्यायालय हाजा में बाद प्रस्तुत करने का वादीगण को उदय नही होता हैं। वयनामा सही है। विधिवत है नामान्तकरण नंबर 355 सही है। विधिवत है। तहसीलदार को वयनामा शून्य करार देने का क्षेत्राधिकार नही है। इस आधार पर भी वादीगण को बाद कारण उदय नही होता है। वादीगण का वाद कारण के अभाव में खाारिज योग्य है। वयनामा रजिस्टर्ड है जो विक्रेतागण हिस्सेदार द्वारा हम प्रतिवादीगण जवाबदारन के हक में पंजीयन कराया गया है। वयनामा के निरस्तीकरण का बाद दीवानी न्यायालय द्वारा विचारणीय होता है। न्यायालय हाजा को ऐसे बाद श्रवण क्षेत्राधिकार नही है। क्षेत्राधिकार के अभाव में वादीगण का बाद खारिज योग्य है। वादीगण चाही गई सहायता विधिवत तौर पर न्यायालय हाजा से प्राप्त करने के अधिकारी नही है। क्या दुरूस्ती जमाबंदी में की जावे सहायता में वादीगण ने दज नही किया है। न्यायालय हाजा को वयनामा शून्य प्रभावी करार देने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। नामान्तकरण विधिवत हुआ है। वादीगण बंटवारा कराने के अधिकारी नही है। किससे बंटवारा कराया जाना है। क्या हिस्सा वादीगण हैं। दर्ज्र नही किया है। बंटवारा पूर्व में वाहमी तौर पर हो चुका है अपने अपने भू–भाग को वाहमी बंटवारा अनुसार काश्तकार हैं। वादीगण पुनःबंटवारा कराने के अधिकारी नही है। वादीगण हम प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है हम प्रतिवादीगण भूमि के रिकाडेर्ड सह खातेदार काश्तकार है। हम प्रतिवादीगण हमारे हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। वादीगण ने वेग तौर बाद पेश किया है। वेग तौर पर सहायता चाही है कोई आधार वादीगण नही है ना ही दावा में दावा किया है ऐसे बाद विधि अनुसार मय खर्चा कोई आधार खारिज किये जाने योग्य है। अंत में दावा वादी खारिज किया जावे।

वादीगण व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक बिन्दु विरचित किये गयेः–

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Veri
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.04 13:06
Reason: SelfAttested

1. आया वाद ग्रस्त आराजीयात 600 ता 603, 605, 629 ता 631, 836, 837, 839, 840, 841 कुल किता 13 कुल रकवा 25 बीघा 06 विस्वा ग्राम खूंडा तहसील करौली वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे की पुश्तैनी है जिसमें वादीगण अपने हिस्से की खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है।

––वादीगण

2. आया वादीगण आराजी के सह खातेदार काश्तकार है वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है।

––वादीगण

3. आया वादीगण प्रतिवादीगण से अपने हिस्से का बंटवारा कराने के अधिकारी है।

––वादीगण

4. आया दावा न्यायालय हाजा के सुनवाई के योग्य नही है।

––प्रतिवादीगण

5. अनुतोष :–

वाद विवाद्यक वादीगण साक्ष्य ली गई। वादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी पीडब्ल्यू–1 कप्तान सिंह, पीडब्ल्यू–2 प्रकाश सिंह के बयान लेखबद्ध कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2069–72 प्रदर्श–1 एवं नकल जमाबंदी संवत 2028–31 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी संवत 2032–35 प्रदर्श–3, वयनामा दिनांक 20.9.2013 प्रदर्श–4 पेश कर प्रदर्शित कराये है। वादी साक्ष्य समाप्त कर बंद की गई।

प्रतिवादीगण ने अपनी कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। साक्ष्य प्रतिवादीगण दिनांक 5.1.2026 को बंद की गई।

बहस वकील वादीगण सुनी गई।

वकील वादीगण का बहस व लिखित बहस पेश कर कथन है कि हम वादीगण के पति/पिता पंचम सिंह के 6 भाई 2 [illegible] है। मूलसिंह, अन्तरसिंह, केशरीसिंह, पंचम सिंह, [illegible] सिंह, छत्तोबाई जो फौत हो चुकी है, लोहरी [illegible] नानगा सिंह जिसका सजरा मद नंबर 1 में दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता/पति की पैतृक संयुक्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 600, 601, 602, 603, 605, 629, 630, 631, 836, 837, 840, 841 कुल किता 13 कुल रकवा 25.06 बीघा, वाके ग्राम खूडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.05.04 13:06:40
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

तहसील करौली में स्थित है जिसको योम खातेदारी से ही हम वादीगण के पिता/पति काश्त करते चले आ रहे हैं, व समय–समय पर फसलें काश्त करते चले आ रहे हैं व हम वादीगण आज भ्री बिना रोक–टोक काबिज काश्त है। सबूतन जमाबंदी संवत् 2028 से 2031 तक में वादीगण के पिता/पति का नाम अंकित है जो 6 भाई मूलसिंह, अन्तरसिंह, केशरसिंह, पंचम सिंह, छत्तर सिंह, गोपाल सिंह के नाम दर्ज है। दावा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता/पति की मृत्यु हो जाने के बाद उनके वारिसान को वादीगण एवं प्रतिवादीगण बताया गया है। वादीगण के पिता/पति का देहानत हो जाने के कारण हम वादीगण उक्त आराजी की इन्द्राज दुरूस्ती कराने, बेचान विलेख दिनांक 20.09.2013 नामान्तकरण संख्या 858/20.10.2013 को वादीगण के विरूद्व शून्य प्रभावी होने के कारण शून्य प्रभावी कराने एवं बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबंद कराने के अधिकारी हैं। जमाबंदी संवत् 2032 से 2035 में वादीगण के पिता/पति का नाम पटवारी द्वारा जमाबंदी में नाम चढाते समय भूलवस वादीगण के पिता/पति का नाम अंकित नही किया गया है जो पटवारी की गलत से वादीगण के पिता/पति का नाम छोड दिया गया है व अंकित नही किया जाना है। और उसी गलती से आज तक गलत जमाबंदी बनती चली आ रही है। जमाबंदियों की नकल दिनांक 14.03.2014 को लेने पर इस बात का पता चला है। इसलिये जमाबंदियों में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है। दिनांक 20.09.2013 को प्रतिवादीगण मुकेश पुत्र छतरसिंह व मिथलेश पुत्र छत्तर सिंह द्वारा हम वादीगण की हिस्से की आराजी को बेईमानी पूर्ण तरीके से छल करके हम वादीगण को बिना बताऐ अजनबी व्यक्ति दिनेश सिंह गुर्जर, राजपाल गुर्जर, जनक सिंह गुर्जर, लाखन सिंह गुर्जर को विक्रय कर दिया उक्त आराजी का बंटवारा भी रिकॉर्ड में अभी नही हुआ है। दिनांक 04.03.2014 को प्रतिवादीगण केता दिनेश सिंह गुर्जर, राजपाल गुर्जर, जनक सिंह गुर्जर, लाखन सिंह गुर्जर हम वादीगण की आराजी पर आए और कहा कि ये जमीन हमने खरीद ली हैं। इस जमीन को

Signature Not Veri
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.04 13:0
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

खाली करो इस जमीन पर हम फसल काश्त करेंगे। यदि तुमने ये जमीन राजी से खाली नही की तो हम वीर गुर्जर हैं। तुम्हें लट्ठ व ताकत के बल पर इस जमीन से बेदखल कर देगें। यदि तुमने विरोध किया तो इस जमीन में ही गड्डा खोदकर गाड देंगे। हमने कहा कि भाई कि ये जमीन हमारे पिता/ पति स्व0 पंचन सिंह की है और उसी के नाम है और अपने जीवन काल में संवत् 2028 से कब्जा काश्त है। उनकी मृत्यु के बाद से हम वादीगण लगातार काश्त करते चले आ रहे है। वहां मौजूद लोगों ने प्रतिवादीगण को काफी समझाया, तो और अधिक नाराज हो गए और ऐलानिया धमकी दे गए है कि दो चार दिन में इस जमीन में लट्ठ व ताकत के बल पर जबरन कब्जा करेगें व इस जमीन पर कब्जा करके हम भी किसी दीगर अजनबी व्यक्ति को इस जमीन को विक्रय कर देंगे या इस जमीन को बैंक मे गिरवी रखवा देंगे। वादीगण द्वारा उसी दिन तहसील मासलपुर आकर जमाबंदी संवत 2028 से 2031 व संवत 2032 से 2035 की नकल ली गई व इसके बाद वर्तमान जमाबंदी की नकल दिनांक 29.04.2014 को प्राप्त की तो पता चला कि जमाबंदी में हमारा नाम सिर्फ मृतक मूलसिंह जो लाऔलाद फौत हुआ है उसके हिस्से की आराजी हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण में बांट कर दर्ज की है इसके बाद दिनांक 23.05.2014 को हम वादीगण ने विक्रय विलेख दिनांक 20.09.2014 को हम वादीगण ने विक्रय विलेख दिनांक 20.09.2013 की नकल प्राप्त की और सारी नकल को लेकर प्रतिवादी नं0 32 लैण्ड होल्डर तहसीलदार मासलपुर के पास गए और इन्द्राज दुरूस्ती व रजिस्ट्री को शून्य एवं शून्य प्रभावी करने को कहा तो सब–रजिस्ट्रार ने कहा कि मैं इसमें कुछ नही कह सकता दावे के द्वारा ही हो सकता हैं। इसलिये अविलम्ब यह दावा पेश किया गया है। उक्त आराजी पर शून्य व शून्य करनीय विक्रय विलेख के आधार पर यदि प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर लिया जावेगा उक्त आराजी को प्रतिवादीगण द्वारा किसी अन्य अजनबी को पुनः बेच दिया जायेगा या बैंक में गिरवी रखकर लोन ले लिया जावेगा। व प्रतिवादीगण द्वारा हम वादीगण

Signature Not Ve
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.04 13:
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

को उक्त आराजी से बेदखल कर दिया जायेगा, तो हम वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षति–पूर्ति किसी प्रकार संभव नही है। इसलिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। विनाय दावा वहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण दिनांक 20.09.2013 को प्रतिवादीगण मुकेश व मिथलेश द्वारा आराजी के विक्रय करने जिसकी नकल दिनांक 23.05.2014 को प्राप्त करने व जमाबंदी संवत् 2028 से 2031 व 2032 से 2035 की नकल दिनांक 14.03.2014 को प्राप्त करने व जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 दिनांक 29.04.2014 को प्राप्त करने पर व दिनांक 23.05.2014 लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील मासलपुर को इन्द्राज दुरूस्ती व रजिस्ट्री शून्य व शून्य प्रभावी करने की प्रार्थना करने पर पैदा हुआ हैं। नामान्तकरण की प्रार्थना पत्र करने दिनांक 23.05.2014 को पैदा हुआ है। हम वादीगण के पति/पित पंचम सिंह के 6 भाई व 2 बहिन है। 1.मूलसिंह 2.अन्तरसिंह 3.केसरीसिंह 4.पंचम सिंह 5. छतरसिंह 6.गोपालसिंह 1.छत्तोबाई जो फौत हो गई है लोहरीबाई पुत्रान/पुत्रीयान नानगासिंह जिनका सजरा दावे के मद नम्बर 1 के अनुसार है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण पिता/पति की पैतृक संयुक्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 600, 601, 602, 603, 605, 629, 630, 631, 836, 837, 839, 840, 841 कुल किता 13 रकवा 25.06 बीघा वाके ग्राम खूडा तहसील करौली जिला करौली में स्थित है। जिसको योम खातेदारी से ही हम वादीगण के पिता/पति काश्त करते चले आ रहे हैं। हम वादीगण बिना रोक टोक आज भी काबिज काश्त है। इसके सबूत में जमाबंदी संवत् 2028 से संवत 2031 पेश की गई है। जिसमें वादीगण पिता/पति का नाम अंकित है। दावा में वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता/पति की मृत्यु हो जाने के बाद उनके वारिसान को वादीगण व प्रतिवादीगण बताया गया है। वादीगण के पित/पति का देहान्त होने के कारण वादीगण उक्त आराजी की इन्द्राज दुरूस्ती कराने, बेचान विलेख दिनांक 20.09.2013 नामान्तकरण संख्या 858/20.10.2013 को वादीगण के विरूद शून्य प्रभावी होने के कारण शून्य प्रभावी कराने एवं बंटवारा व

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Ve
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.04 13:
Reason: SelfAttested

स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबंद कराने के अधिकारी है। संवत 2032 से 2035 के पिता/पति का नाम विरासत से नामान्तकरण करते समय पटवारी हल्का द्वारा छोड दिया गया हे। जिससे वादीगण अपने 1/8 हिस्से से वंचित हो गये तथा उनका नाम मूलसिंह (मृतक) जो लाऔलाद फौत हो गया उसके हिस्से तक ही सीमित रह गया यानी मूलसिंह का हिस्सा 1/8 जिसमें 5 भाई तथा 2 बहिनों के नामों का बराबर बंटवारा हो गया है यानी प्रार्थी/वादीगण का नाम मूलसिंह के हिस्से में ही सीमित होकर खातेदारी में/जमाबंदी में चलता आ रहा था। इस बात का फायदा उठाकर प्रतिवादीगण 7 व 8 द्वारा अपना हिस्सा जिसमें की वादीगण का भी हिस्सा है को प्रतिवादीगण 28, 29, 30, 31 को दिनांक 20.09.2013 को विक्रय कर दिया तथा जिसका नामान्तकरण भी बेईमानी तथा कपटपूर्ण तरीके से अपने नाम खुलवा लिया है। यह तथ्य विकतागण/प्रतिवादीगण संख्या 7 व 8 की जानकारी में होते हुए कि जिस हिस्से को प्रतिवादीगण 7,8 प्रतिवादीगण संख्या 28,29,30,31 को बेच रहे है उनका नही है। बावजूद जानकारी के कपटपूर्ण तरीके से तथा बेईमानीपूर्ण ढंग से अनुचित लाभ लेने का उद्देश्य रखते हुए प्रतिवादीगण संख्या 28,29,30,31 को बेचान करते हुए रोंगफुल गैन किया गया है। जिससे बेचान विलेख 20.09.2013 व नामान्तकरण संख्या शून्य प्रभावी घोषित किये जाने योग्य है यानी वादीगण के विरूद्व शून्य है तथा शून्य प्रभावी घोषित किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण को इस बात का ज्ञान था कि उन्होने गलत तरीके से अनुचित लाभ प्राप्त करने के ककदसद से उक्त वयनामा/विकय विलेख उनवानी मुकेश बहक दिनेश वगै0 प्रतिवादीगण सं0 28, 29, 30, 31 को कराया है जो कि सर्वथा गलत तथा कपटपूर्ण था। इस कारण प्रतिवादी जनकसिंह पुत्र रामसिंह जाति गुर्जर निवासी नवलसिंह का पुरा, खूंडा तहसील मासलपुर जिला करौली साक्ष्य देने हेतू जानबूझ कर माननीय न्यायालय में उपस्थित नही आया है। विकय विलेख दिनांक 20.09.2013 उनवानी मुकेश बहक दिनेश वगै0 प्रारम्भ से ही शून्य है। चूंकि हस्तगत

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verif
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.04 13:06
Reason: SelfAttested

आराजी खसरा नम्बर 600, 601, 602, 603, 605, 629, 630, 631, 836, 837, 839, 840, 841 कुल किता 13 कुल रकवा 25.06 बीघा वाके ग्राम खूंडा तहसील करौली हाल तहसील मासलपुर जिला करौली में स्थित है, में विक्रेता का हिस्सा 5/35 बनता है जबकि बेचान किया है 8/35 का में प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का इतना हिस्सा ही नही है जितने का बेचान जरिये विक्रय विलेख दिनांक 20.09.2013 द्वारा प्रतिवादीगण 28,29,30,31 को किया गया है। दिनांक 23.05.2014 को विक्रेतागण/प्रतिवादीगण संख्या 28,29,30,31को वादीगण के हिस्सा को आराजी का जानबूझकर बदयान्तिपूर्वक बेचान करने से आहत होकर वादीगण श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील मासलपुर से इन्द्राज दुरूस्ती करने हेतू मिले परन्तु तहसीलदार मासलपुर द्वारा प्रार्थीगण/वादीगण की प्रार्थना अस्वीकार कर दावा कर इन्द्राज दुरूस्त करने की कहा गया। इस प्रकार वादीगण को श्रीमान उप जिला कलेक्टर साहब करौली के न्यायालय में मुकदमा करना आवश्यक हुआ है। 2025(1) RRT 561 सुनील एण्ड अदर बनाम ओस्टवाल पोस्चेम (इण्डिया) लिमिटेड एण्ड अदर में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा है कि राजस्व न्यायालय विक्रय पत्र को नल एण्ड वोइड घोषित कर सकता है। POORSARAM V/S Board of Revenue RRD 377 में श्रीमान राजस्थान उच्च न्यायालय ने इन्द्राज दुरूस्त करने हेतु सिद्वान्त प्रतिपादित किया है। आराजी की जमाबंदियों में इन्द्राज दुरूस्ती की जावें। बेचान विलेख दिनांक 20.09.2013 नामान्तकरण संख्या 858/20.10.2013 जो उक्त प्रतिवादी द्वारा किया गया है उसे शून्य एवं शून्य प्रभावी किया जावें। उक्त आराजी का बंटवारा कराया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो हम वादी... आराजी काबिज काश्त में किसी प्रकार की रूकाव... न अन्य से डलवाये न ही उक्त आराजी के लट्ठ व ताकत के बल पर कब्जा न तो स्वयं करे न अन्य से कराये एवं प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि उक्त आराजी को कहीं रहन वय नही करे व

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pre...
Date: 2026.05.04 13:06
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण सं. 32 को पाबंद फरमाया जावे कि उक्त आराजी की किसी के हक में रजिस्ट्री नही करें। दावा वादी डिक्री किया जावे।

वकील प्रतिवादीगण का बहस में कथन है कि नानगा सिंह का विवादित आराजीयात में कोई खातेदारी काश्तकारी संबंध नही हैं। क्योंकि मूल सिंह लाऔलाद फौत होना वादीगण ने सजरा में दर्ज किया है। छतरसिंह का 1/5 हिस्सा खातेदारी अधिकार वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हो रहा है। वह सही है। इन आराजीयात में लौहरी वाई प्रतिवादी का कोई खातेदारी काश्ताकरी संबंध नही है कोई जमाबंदी वादीगण ने नानगा सिंह के खातेदारी की प्रस्तुत नही की हैं। जवाबदारान प्रतिवादीगण ने छतर सिंह पुत्र नानगा के वारिसान प्रतिवादीगण नबर 7 एवं 8 मुकेश व मिथलेश से उनके हक हिस्से खातेदारी की समस्त भूमि क्रय की है। जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्रच से खरीद की गई हैं। और कब्जा प्राप्त हम प्रतिवादीगण ने विक्रेतागण से प्राप्त किया है हम प्रति–वादीगण जवाबदारान छतरसिंह के हक हिस्से की भूमि पर काविज काश्त है। आराजीयात पैतृक संपत्ति नही है पैतृक खातेदारी की आराजीयात नही हैं। पैतृक आराजीयात होने का कोई रिकार्ड ऑफ राईटस जमाबंदी वगैर हा नानगा सिंह एवं उसके पिता की होने का वादीगण ने वादीगण ने वादपत्र में अपने वादपत्र में प्रस्तुत नही किया है ना ही वादीगण ने अपने वादपत्र में दर्ज किया है। किस पूर्वज के खातेदारी की भूमि रही है। वादपत्र में वादीगण ने इन आराजीयात में अपना हक हिस्सा तक भी दर्ज नही किया है। मूलसिंह स्वर्गवासी हो चुका है। जो निःसंतान हुआ हैं। और वर्तमान जमाबंदी में छतरसिंह का हिस्सा 1/5 होना सही दर्ज हुआ है। वादीगण को कोई बाद घो[illegible] खातेदारी अधिकार का नही है। इन्द्राज दुरूस्ती बाद है। वादीगण का नाम वर्तमान जमाबंदी में खातेदारी में दर्ज हो रहा है। विक्रय विलेख 20.09.2013 वहक हम प्रतिवादीगण जवाबदारान एवं नामान्तकरण संख्या – 358 दिनांक 20–10–2013 पूर्णतया सही है। विधिवत है। प्रभावशील है। उक्त वयनामा को न्यायालय हाजा से वादीगण शून्य प्रभावी करार कराने के विधिवत तौर पर अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.05.04 13:06:40
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

नही है। दीवानी न्यायालय को ही रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को पीडित पक्षकार द्वारा ही निरस्त कराया जा सकता है ऐसी घोषणा दीवानी न्यायालय ही सकता है। न्यायालय हाजा को बयनामा निरस्त करने का शून्य प्रभाव करार देने का क्षेत्र अधिकार नही है ऐसा क्षेत्राधिकार नही है क्षेत्राधिकार दीवानी न्यायालय को ही प्राप्त है। उन को अपने हक हिस्से की भूमि विक्रय करने का विधिक अधिकार है। वादीगण ने छतरसिंह का उनके वारिसान का हक हिस्सा खातेदारी अधिकार होना अपने वादपत्र में माना हुआ है। वादीगण न्यायालय से स्थायी निषेधाज्ञा हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्राप्त करने के अधिकारी नही है। मौके पर वाहमी बंटवारा हो रहा है। अपने अपने हिस्से पर वादीगण एव हम प्रतिवादीगण काविज काश्त है वाहमी बंटवारा न्यायालय द्वारा नही माना जाने पर न्यायालय द्वारा विधिवत बंटवारा किया जा सकता है। वादीगण का कितना हिस्सा है यह भी वादपत्र में वादीगण ने दर्ज नही किया है। हम प्रतिवादीगण अपने हिस्से की आरजी पर काविज है और काश्त कर रहे है। वादीगण ने कोई विधिवत अभिवचन वादपत्र में नही है। किस जमाबंदी में किस संवत में नाम दर्ज करने से छोड दिया। दर्ज नही किया है वर्तमान जमाबंदी मे वादीगण का नाम दर्ज हो जो कहां है दिनांक 14.3. 2014 को वादीगण को जानकारी होने का तथ्य असत्य दर्ज किया है। वादीगण कोई दुरूस्ती कराने के अधिकारी नही है। दिनांक 20. 09.2013 के दिवस मुकेश एवं मिथलेश द्वारा बेईमानी से छल करके बेचान हम प्रतिवादीगण को नही किया है हमारा अजनबी होने का कोई प्रश्न नही है। वादीगण एव हम प्रतिवादीगण एक ही ग्राम खूडा के निवासी है। रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से पूर्व [illegible] विकेतागण ने हम केतागण को कब्जा दिया [illegible] प्रतिवादीगण आराजी पर काबिज काश्त है [illegible] 4.3.2014 [illegible] दिवस कोई कहन सुन वादीगण एव हम प्रतिवादीगण के बीच नही हुई है। इन आराजीयात के अलावा दीगर आराजीयात भी इसी विक्रय पत्र से हम केतागण ने छतरसिंह के वारिसान से खरीद की है। और उन आराजीयात पर हम केतागण प्रतिवादीगण जवाबदारान

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.05.04 13:06:40
Reason: SelfAttested

काबिज काश्त है। जिनमें भी वादीगण हम क्रेतागण के साथ संयुक्त खातेदारी है वह आराजीयात खसरा नंबर 638 लगायत 651 तक है। इसी ग्राम खूडा में है। हम क्रेतागण को आराजी विवादित को काश्त करने का अधिकार है। हमारी खरीदशुदा आराजीयात से वादीगण का कोई खातेदारी काश्तकारी संबंध नही है। वादीगण ने मनगढन्त असत्य लक्ष्य कपोल कल्पित आधारों पर हम प्रतिवादीगण के सबंध में दर्ज किये है हम जवाबदारान को अपनी खरीदशुदा भूमि को हस्तान्तरण का विधिक अधिकार है। छतरसिंह के वारिसान भूमि के विधिवत खातेदार काश्तकार रहे है हम प्रतिवादीगण भूमि के विधिवत खातेदार काश्तकार है। वादीगण न्यायालय हाजा से विक्रयपत्र को शून्य प्रभावी कराने के अधिकारी नही है। विस्तुत जवाब देही जवाब दावा के पैरा नंबर 2 में दर्ज किये है। वादीगण को कोई वादकारण विधिवत तौर पर वाद प्रस्तुत करने का उदय नही हुआ है। वादीगण ने छल द्वारा वयनामा पंजीकृत कराना बताया है। ऐसा बाद दीवानी न्यायालय द्वारा विचारणीय होते हैं। वयनामा दिवस से ही हम प्रतिवादीगण खरीदशुदा भूमि पर काबिज काश्त हैं। वादी द्वारा शून्यगरणीय वयनामा होना दर्ज किया है। ऐसे वयनामों के संबंध में बाद दीवानी न्यायालय द्वारा विचारणीय होता हैं। राजस्व न्यायालय द्वारा ऐसे बाद पोषणीय नही होता है। हम प्रतिवादीगण अपनी खरीदशुदा भूमि पर खातेदार काश्तकार काबिज है। वादीगण को जबरन बेदखल करने को कोई प्रश्न नही हैं। वादीगण को कोई अपूर्णीय क्षति नही है। वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा हम प्रतिवादीगण के विरूद्व प्राप्त करने के अधिकारी नही हैं। हम अजनबी केता नही है। हम प्रतिवादीगण एवं वादीगण एक ही [illegible] के है। हमारे द्वारा भूमि ना तो रहन की जा रही है ना ही विक्रय की जारी है। विधि अनुसार खातेदार काश्तकार को अपनी भूमि का हस्तान्तरण करने का विधिक अधिकार हैं। वादीगण को कोई वयनामा के संबंध में वाद कारण न्यायालय हाजा में बाद प्रस्तुत करने का वादीगण को उदय नही होता हैं। वयनामा सही है। विधिवत है नामान्तकरण नंबर 355 सही है। विधिवत है। तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.05.04 13:06:40
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

को वयनामा शून्य करार देने का क्षेत्राधिकार नही है। इस आधार पर भी वादीगण को बाद कारण उदय नही होता है। वादीगण का वाद कारण के अभाव में खाारिज योग्य है। वयनामा रजिस्टर्ड है जो विकेतागण हिस्सेदार द्वारा हम प्रतिवादीगण जवाबदारन के हक में पंजीयन कराया गया है। वयनामा के निरस्तीकरण का बाद दीवानी न्यायालय द्वारा विचारणीय होता है। न्यायालय हाजा को ऐसे बाद श्रवण क्षेत्राधिकार नही है। क्षेत्राधिकार के अभाव में वादीगण का बाद खारिज योग्य है। वादीगण चाही गई सहायता विधिवत तौर पर न्यायालय हाजा से प्राप्त करने के अधिकारी नही है। क्या दुरूस्ती जमाबंदी में की जावे सहायता में वादीगण ने दज नही किया है। न्यायालय हाजा को वयनामा शून्य प्रभावी करार देने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। नामान्तकरण विधिवत हुआ है। वादीगण बंटवारा कराने के अधिकारी नही है। किससे बंटवारा कराया जाना है। क्या हिस्सा वादीगण हैं। दर्ज नही किया है। बंटवारा पूर्व में वाहमी तौर पर हो चुका है अपने अपने भू–भाग को वाहमी बंटवारा अनुसार काश्तकार हैं। वादीगण पुनःबंटवारा कराने के अधिकारी नही है। वादीगण हम प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है हम प्रतिवादीगण भूमि के रिकाडेर्ड सह खातेदार काश्तकार है। हम प्रतिवादीगण हमारे हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। वादीगण ने वेग तौर बाद पेश किया है। वेग तौर पर सहायता चाही है कोई आधार वादीगण नही है ना ही दावा में दावा किया है ऐसे बाद विधि अनुसार मय खर्चा कोई आधार खारिज किये जाने योग्य है। अंत दावा वादी खारिज किया जावे।

बहस वकील वादीगण व प्रतिवादीगण को [illegible] किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात एवं साक्ष्य वादीगण व प्रतिवादीगण का विवेचन किया गया प्रकरण के तनकी वार विवेचन किया जाना उचित है तनकी वार विवेचन निम्न प्रकार है :–

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Ve
Digitally signed by Pr
Date: 2026.05.04 13:
Reason: SelfAttested

विवाद्यक संख्या 1 को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने भूमि को पुश्तैनी होना बताया है परन्तु पत्रावली में नानगा सिंह के समय का कोई राजस्व रिकॉर्ड पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे भूमि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी संवत 2069–72 प्रदर्श–1 एवं नकल जमाबंदी संवत 2028–31 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी संवत 2032–35 प्रदर्श–3 से भूमि पुश्तैनी होना साबित नहीं होता है। अतः विवाद्यक संख्या 1 को वादीगण ने साबित अपनी दस्तावेजी साक्ष्य नहीं किया है। अतः विवाद्यक संख्या 1 वादीगण के विरूद्ध प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 2 को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2069–72 प्रदर्श–1 में भूमि वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज नहीं है। वादीगण ने पंचम सिंह की वारिस होने का कोई राजस्व रिकॉर्ड वोटर लिस्ट, राशन कार्ड आदि प्रस्तुत नहीं किये है। वादीगण भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। वादीगण प्रतिवादीगण को खातेदारी के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के हकदार नहीं है। अतः विवाद्यक संख्या 2 वादीगण के विरूद्ध प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णय किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 3 को साबित करने का भार वादीगण पर है। विवाद्यक संख्या 1 व 2 के विवेचन से भूमि पुश्तैनी भूमि हो साबित करने में असफल रहे है। प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी प्रदर्श–1 में वादीगण के नाम खातेदारी अंकित नहीं है। वादीगण ने अपने वादपत्र में कितना हक हिस्सा है यह भी दर्ज नहीं किया है। इस प्रकार वादीगण भूमि का कोई बंटवारा कराने के अधिकारी नहीं है। अतः विवाद्यक संख्या 3 वादीगण के विरूद्ध प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.05.04 13:06:40
Reason: SelfAttested

विवाद्यक संख्या 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने इस संबंध में कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (राज०)

नहीं किये है। अतः विवाद्यक संख्या 4 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 5 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 ता 3 के विवेचन से वादीगण ने भूमि को पुश्तैनी होना राजस्व रिकॉर्ड से साबित नहीं किया है एवं वादीगण ने अपने वादपत्र में अपना कितना हिस्सा है दर्ज नहीं किया है। प्रतिवादीगण ने पक्ष मे वयनामा दिनांक 20.9.13 जो किया गया है वह छतर सिंह के पुत्र व पुत्री द्वारा पंजीयन कराया गया है। जिनका भूमि में हक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है और वयनामा उन्होंने अपने हिस्से तक ही पंजीयन कराया है। छतर सिंह पुत्र नानगा सिंह का भूमि में 1/5 हिस्सा प्रदर्श–1 जमाबंदी में दर्ज है। इस प्रकार वादीगण भूमि में कोई घोषणा खातेदारी अपने हक में कराने के हकदार नहीं है और कोई स्थाई निषेधाज्ञा व बंटवारा कराने के हकदार नहीं है। वादीगण अपने वाद को साबित करने में असफल रहे है। दावा वादीगण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदानुसार पर्चा ड्रिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 27/1/26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.04 13:06:40 IST
Reason: SelfAttested